

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 128 / 11-सी-FP/UP/Approach/151696/2022, लखनऊ, दिनांक: सितम्बर 15, 2023
सेवा में,

उप वन महानिदेशक(केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- मेसर्स टोरेन्ट गैस प्राईवेट लि०, लखनऊ द्वारा जनपद-बाराबंकी के अंतर्गत सुलतानपुर-लखनऊ मार्ग एन०एच०-731 (पुराना एन०एच०-56) के किमी० 167-168 (चैनेज-167.216) के मध्य बांयी पटरी (लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग दायी पटरी) पर ग्राम-चौबीसी, तहसील-हैदरगढ़, जनपद-बाराबंकी, खसरा गाटा सं०-1888 एवं 1889 में प्रस्तावित सी०एन०जी० स्टेशन के स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.221392 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०६/१९६/२०२२/एफ०सी०/१९९, दिनांक 23.06.2023 एवं वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा०, सरयू वृत्त, अयोध्या का पत्रांक-726/14-10, दिनांक 13.09.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा०, सरयू वृत्त, अयोध्या के उपरोक्त पत्रांक-726/14-10, दिनांक 13.09.2023 द्वारा इस कार्यालय को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है तथा प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दण्डात्मक एन०पी०वी०, एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में ऑनलाइन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन "परिवेश" पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

18
(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 128 / 11-सी-FP/UP/Approach/151696/2022, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा०, सरयू वृत्त, अयोध्या।
2. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, बाराबंकी।
3. प्रबन्धक, टोरेन्ट गैस प्राईवेट लि०, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

18
(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।